

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में तद्धीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।
- (2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति ¹[प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में] सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ²[या उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर इनमें से जो भी पहले हो] ही हटाया जाएगा ³[और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई है।]
- (3) जहां कुर्की की गई संपत्ति विनिश्चर या परिसंकटमय प्रकृति की है, ⁴[और यदि व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है] ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है *जो ⁵[ऐसे व्यक्ति] पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के सबूत पर, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी।
- (4) जहां ⁶[ऐसे व्यक्ति] विनिश्चर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या ⁷[ऐसे व्यक्ति] द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
- (5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, ⁸[प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा] कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपत्ति फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

² अधिसूचना क्रमांक 52/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.10.2023 द्वारा अंतःस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 26.10.2023)

³ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "और यदि कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

* राजपत्र में "या ऐसी रकम का संदाय करता है" पुनः छपा है, अंग्रेजा संस्करण के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं था या है, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।
-